सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
चैत्र 14, बुधवार, शाके 1937–अप्रेल 8, 2015 *Chaitra 14, Wednesday, Saka 1937–April 8, 2015*	

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 6, 2015

संख्या एफ.17(154)गृह–10/2010 :– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इस स्कीम का नाम राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2015 है।

(2) इस संशोधन स्कीम के,–

(i) खण्ड 4 के उपबंध, जिसके द्वारा नया खण्ड 5क अंतःस्थापित किया गया है, 05.08.2014 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे;

(ii) शेष खण्डों के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. खण्ड 2 का संशोधन.– राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के खण्ड 2 के विद्यमान उप–खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपराध के परिणामस्वरूप किसी हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है और इसमें उसका संरक्षक या विधिक वारिस और आश्रित सम्मिलित है।"

3. खण्ड 5 का संशोधन.– उक्त स्कीम के खण्ड 5 में,–

(i) उप–खण्ड (1) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर, विशेष न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त किया जायेगा।"

(ii) उप–खण्ड (3) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु उपर्युक्त उप–खण्ड (3) के उपबंध, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अधीन लैंगिक अपराधों से पीड़ित के लिए लागू नहीं होंगे।"

(iii) उप–खण्ड (5) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु इस स्कीम की कोई बात, किसी बालक, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन पीड़ित है या उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियम या स्कीम के अधीन अनुतोष चाहने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करेगी।"

(iv) उप–खण्ड (8) में, निम्नलिखित नये परंतुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

"परंतु प्रतिकर की उपर्युक्त सीमा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की दशा में लागू नहीं होगी।

परंतु यह और कि इस स्कीम के अधीन अधिनिर्णित किये जाने वाले प्रतिकर की मात्रा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त होगी और न्यायालय द्वारा पीड़ित को संदत्त किये जाने के लिए आदिष्ट होगा।"

4. नये खण्ड 5क का अंतःस्थापन.– उक्त स्कीम के विद्यमान खण्ड 5 के पश्चात् और विद्यमान खण्ड 6 के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड 5क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"5क अम्ल (एसिड) हमले की दशा में विशेष प्रक्रिया.– (1) खण्ड 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते पर भी, अम्ल (एसिड) हमले की दशा में तीन लाख रुपये की राशि, ऐसी घटना के घटित होने या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से प्राप्त सूचना के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे पीड़ित या उसके आश्रित या उसके संरक्षक को संदत्त की जायेगी।

(2) जब किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा समर्थित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का दायी होगा। जब मामला जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाया जाता है तो वह तत्काल इस संबंध में चिकित्सीय ध्यान और व्ययों को सुकर बनायेगा और प्रतिकर अधिनिर्णय के लिए दो दिन के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी सिफारिश भेजेगा।"

5. अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त स्कीम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

अनुसूची
(नियम 5 (8) देखिए)

क्र. सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	2	3
1.	जीवन हानि (उपार्जन करने वाला सदस्य) जीवन हानि (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/– रु. 2,50,000/–
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य) किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/– रु. 2,50,000/–
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य) किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 80,000/– रु. 50,000/–
4.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है।	रु. 25,000/–
5.	अवयस्क के साथ बलात्संग	रु. 5,00,000/–
6.	बलात्संग	रु. 5,00,000/–
7.	पुनर्वास	रु. 1,00,000/–
8.	मानव दुर्व्यापार, बाल दुरुपयोग और व्यपहरण जैसे मामलें में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या कोई क्षति हुई है।	रु. 25,000/–
9.	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	रु. 20,000/–
10.	अम्ल (एसिड) हमले का पीड़ित	रु. 3,00,000/–
11.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000/–
	(ख) गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000/–
	(ग) लैंगिक हमला	रु. 1,00,000/–
	(घ) गुरुतर लैंगिक हमला	रु. 2,00,000/–
	(ङ) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग	रु. 1,00,000/–

टिप्पण : अंतरिम सहायता के रूप में निम्नलिखित व्यय संदेय होंगे :–

(i) दाह संस्कार व्यय : रु. 10,000/–

(ii) चिकित्सा व्यय रु. 25,000/– तक

(iii) बालक की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 50%

(iv) व्यस्क की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 25%

राज्यपाल के आदेश से,
ए. मुखोपाध्याय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 6, 2015

No. F 17 (154)Home-10/2010:-In exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the State Government hereby makes the following scheme further to amend the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)This Scheme may be called the Rajasthan Victim Compensation (Amendment) Scheme, 2015.

(2) Provisions of-

(i) clause 4 of this amendment scheme by which new clause 5A inserted, shall be deemed to have come into force with effect from 05-08-2014.

(ii) remaining clauses of this amendment scheme shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of clause 2.- The exiting sub-clause (d) of clause 2 of the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011, herein after referred to as the said scheme, shall be substituted by the following, namely:-

"(d) "Victim" means a person who has suffered any loss or injury as a result of crime and requires rehabilitation and includes his or her guardian or legal heir or dependent."

3. Amendment of clause 5.- In clause 5 of the said scheme,-

(i) in sub-clause (1), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the compensation awarded by the Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 shall be paid within 30 days from the date of receipt of the order of the Special Court."

(ii) in sub-clause (3), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the provisions of above sub-clause (3) shall not apply for the victim of sexual offences under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and rules made there under."

(iii) in sub-clause (5), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that nothing in this scheme shall prevent a child who is victim under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 or his parents or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence from submitting an application for seeking relief under any other rules or scheme of the Central Government or State Government."

(iv) in sub-clause (8), the following new provisos shall be added, namely:-

"Provided that the above limit of compensation shall not apply in case of compensation awarded by the Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

Provided further that the quantum of compensation to be awarded under this scheme shall be in addition to the fine imposed under section 326A or section 376D of Indian Penal Code, 1860 and ordered to be paid to victim by the Court."

4. Insertion of new clause 5A.- After the existing clause 5 and before the existing clause 6 of the said scheme, the following new clause 5A shall be inserted, namely:-

"**5A. Special Procedure in case of acid attack.-** (1) Notwithstanding anything contained in clause 5, in case of acid attack a sum of Rupees three lac shall be paid to such victim or his or her dependent or his or her guardian within fifteen days of occurrence of such incident or the information received from officer in charge of police station.

(2) When the information received by the officer in charge of a police station he shall be liable to furnish the copy of the FIR supported by medical report to the District Magistrate and the District Legal Services Authority within three days. When the case brought to the notice of the District Magistrate he shall immediate facilitate medical attention and expenses in this regard and send his

recommendation to the District Legal Services Authority within two days to award the compensation."

5. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE

[See rule 5 (8)]

S. No.	Particulars of loss or injury	Maximum Limit of compensation
1	2	3
1.	Loss of Life (earning member) Loss of Life (non earning member)	Rs. 5,00,000/- Rs. 2,50,000/-
2.	Loss of any limb or part of body resulting above 80% disability (earning member) Loss of any limb or part of body resulting above 80% disability (non earning member)	Rs. 5,00,000/- Rs. 2,50,000/-
3.	Loss of any limb or part of body resulting above 40% and up to 80% disability (earning member) Loss of any limb or part of body resulting above 40% and up to 80% disability (non earning member)	Rs.80,000/- Rs.50,000/-
4.	Loss of any limb or part of body resulting up to 40% disability	Rs. 25,000/-
5.	Rape of Minor	Rs. 5,00,000/-
6.	Rape	Rs. 5,00,000/-
7.	Rehabilitation	Rs. 1,00,000/-
8.	Loss of any injury causing severe mental agony to women and child victims in case like Human Trafficking, child abuse and kidnapping	Rs. 25,000/-
9.	Simple loss or injury to child victim.	Rs. 20,000/-
10.	Victim of acid attack	Rs. 3,00,000/-
11.	Offences under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012	
	(a) Penetrative Sexual Assault	Rs. 5,00,000/-
	(b) Aggravated Penetrative Sexual Assault	Rs. 5,00,000/-
	(c) Sexual Assault	Rs. 1,00,000/-
	(d) Aggravated Sexual Assault	Rs. 2,00,000/-
	(e) Using child for pornographic purposes	Rs. 1,00,000/-

Note: The following expenses shall be payable as interim relief:-

(i) Funeral expenses: Rs. 10,000/-.
(ii) Medical expenses up to Rs. 25,000/-.
(iii) Interim relief in case of child 50% of maximum limit of compensation.
(iv) Interim relief in case of adult person 25% of maximum limit of compensation.

"

By Order of the Governor,

A. Mukhopadhaya,
Add. Chief Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.